आम सूचना

स्प्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, (एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया) एक पंजीकृत सोसाइटी के द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छ.ग. में एक वाद जी.आर. चन्द्रमोहन, बाली शर्मा, रंजीत प्रताप मिस्त्री, मनोज कुमार सिंह, साकेत त्रिपाठी, नितिन गर्ग, तरूण ताम्रकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कलेक्टर सरगुजा को पक्षकार बनाते हुए दायर किया गया है।

माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 03 जून 2024 को सोसाइटी की भूमि के संबंध में इन पक्षकारों के संबंध में स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है। जी.आर. चन्द्रमोहन तथा इसके साथियों के द्वारा सोसाइटी की भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा था।

CGSU020001802024

न्यायालयः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीशः कु. आकांक्षा सक्सेना)

व्यवहार वाद क्रं.-18 ए/2024
संस्थित दिनांकः-15.01.2024

यादवेन्द्र सिंह आ. श्री ज्ञान सिंह,
निवासी-महर्षि विद्या मंदिर सकालो,
अम्बिकापुर, थाना-गांधीनगर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

.....वादी/आवेदकगण

।। विरूद्ध ।।

1- जी.आर.चन्द्र मोहन आ. एन.जी.पिल्ले आयु
लगभग-62 वर्ष,निवासी-124 आयप्पा नगर सुपेला,
भिलाई तह० व जिला दुर्ग (छ.ग.)

2- बाली शर्मा आ. खेदन शर्मा, आयु लगभग-52 वर्ष,
निवासी-एल.आई.जी 72, नई दिन दयाल कलोनी,
जुनवानी भिलाई मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,
थाना व तह.-भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

3- रंजीत प्रताप मिस्त्री आ. प्रताप भाई मिस्त्री, आयु
लगभग-58 वर्ष, निवासी-304 किष्णा हेरिटेज
सी.एच.एस. लिमिटेड लिंक रॉड वास्को एम.एच.वी
कॉलोनी, बोरीवली वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र

4- मनोज कुमार सिंह आ. राम भरोसे सिंह,निवासी-मैत्रीनगर,
रिशाली सिविक सेन्टर भिलाई, थाना व तह.-भिलाई,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

5- साकेत त्रिपाठी आ. सी.डी. त्रिपाठी आयु लगभग-47 वर्ष,
निवासी-हाई स्कूल रोड अम्बिकापुर, थाना व तह०-अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

6- नितिन गर्ग आ. श्री भगवान गर्ग आयु लगभग-40 वर्ष,

निवासी-ब्रम्हरोड अम्बिकापुर, थाना व तह०-अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

7- तरूण ताम्रकार आ. स्व. मुरारी लाल ताम्रकार, आयु लगभग-47 वर्ष,
निवासी-हाई स्कूल रोड अम्बिकापुर, थाना व तह०-अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

8- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कलेक्टर, सरगुजा,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

..... प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादी की ओर से श्री संदीप कुमार तिवारी, अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक-1 से 7 की ओर से श्री डी.के.पुरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक-8 एकपक्षीय।

।। आदेश ।।

(आज दिनांक 03.06.2024 को घोषित)

(01.) इस आदेश द्वारा वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. दिनांकित 15.01.2024 का निराकरण किया जा रहा है।

(02.) वादी/आवेदक का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने अनावेदकगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। एस.आर.एम.फाउण्डेश आॅफ इंडिया एक पंजीकृत संस्था है जिसका पंजीयन कार्यालय ए-14, मोहन कार्पोरेटिव इंडस्ट्रयल स्टेट मथुरा रोड नई दिल्ली है । एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया के शाखा कार्यालय पारस भवन, नर्मदा रोड जबलपुर (म.प्र.) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री संतशेर गिल आ. करलेन सिंह गिल द्वारा परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि को उसके तत्कालीन

स्वामी जगदीश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिहं, सतेन्द्र कुमार सिंह एवं विष्णु प्रताप सिंह से पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.08.1997 को गवाहों के समक्ष क्रय किया गया था तथा क्रय पश्चात एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया के शाखा कार्यालय पारस भवन, नर्मदा रोड जबलपुर (म.प्र.) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री संतशेर गिल आ. करनेल सिंह गिल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था।

(03.) परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि को एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष श्री संतशेर गिल आ. करनेल सिंह गिल द्वारा दिनांक 25.06.2004 को पंजीकृत लीज डीड के माध्यम से 30 वर्षो के लिए महर्षि शिक्षा संस्थान सकालो, अम्बिकापुर को शिक्षा संस्थान संचालन हेतु दे दिया गया था तथा परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि पर विधिवत महर्षि विद्या मंदिर सकालो के नाम से स्कूल का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त लीज डीड की अवधि जून 2034 तक वैध है। इस तरह वर्तमान में परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि पर महर्षि विद्या मंदिर सकालो का अधिपत्य है। प्रतिवादी क्रं.-1 ने एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया के नाम से परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि स्थित सकालो को प्रतिवादी क्रं.-2 एवं 3 को मोहरा बनाकर प्रतिवादी क्रं.-5 से 7 के पक्ष में विक्री करने का सौदा तय कर पंजीकृत विक्रीनामा अनुबंध पत्र का निष्पादन दिनांक 10-08-2023 को कराने में सफल हो गया है।

(04.) प्रतिवादी क्रं.-1 से 4 तक न तो कभी एस.आर.एम.फाउडेण्श आॅफ इंडिया का सदस्य रहे हैं आैर न हीं उन्हें एस.आर.एम.फाउण्डेश

आॅफ इंडिया द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विक्री करने का अधिकार भी दिया गया है परंतु प्रतिवादी क्रं.-1 द्वारा एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया की भूमि को संस्था का फर्जी सदस्य बनकर अलग-अलग जिलों में स्थित भूमि को अलग-अलग व्यक्ति के माध्यम से विक्रय करने का प्रयास किया जाता रहा है जिस संबंध में फाउण्डेशन के पंजीकृत सदस्य द्वारा प्रतिवादी क्रं.-1 एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है।

(05.) प्रतिवादी क्रं.-1 द्वारा प्रतिवादी क्रं.-2 एवं 3 को मोहरा बनाकर परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि स्थित ग्राम सकालो को प्रतिवादी क्रं.-5 से 7 के पक्ष में फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रय करने का सौदा तय कर पंजीकृत अनुबंध पत्र का निष्पादन दिनांक 10.08.2023 को करा लिया गया है जबकि परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई स्वाामित्व एवं अधिपत्य नहीं है तथा परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि के अंश भाग पर वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल का संचालन किया जा रहा है, एेसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि पर प्रतिवादीगण परिशिष्ट "अ" की वाद भूमि को विक्रय करने में सफल हो जायेंगे जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

(06.) प्रतिवादीगण क्र.-2 एवं 4 का जवाब इस प्रकार है कि एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया एक पंजीकृत संस्था है, श्री संत शेरगिल के द्वारा निष्पादित पंजीकृत लीज डीड दिनांक-25.06.2004 अवैध

है। प्रतिवादी क्रं.-1 एस.आर.एम.फाउण्डेशन आॅफ इंडिया का वैध पदाधिकारी है जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रं.-2 को विधि अनुसार अपना मुख्यार नियुक्त किया गया है और प्रतिवादी क्रं.2 के द्वारा बतौर मुख्त्यार के पंजीकृत बिक्री अनुबंध पत्र दिनांक- 10.08.2023 को निष्पादित किया गया है। निवेदन किया गया है कि आवेदन निरस्त किया जावे।

(07.) प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से मुख्त्यार जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि एस०एम०आर० फाउंडेशन आॅफ इंडिया के नाम पर निष्पादित लीज डीड दिनांकित 25-06-2004 अवैध है। उक्त डीड संस्था के किसी विधिक व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं की गयी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एस०आर०एम० फाउंडेशन आॅफ इंडिया का वैध पदाधिकारी है साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 03 भी संख्या एस०आर०एम० फाउंडेशन आॅफ इंडिया का वैध पदाधिकारी है। प्रतिवादी क्रमांक-02 को विधि अनुसार अपना मुख्त्यार नियुक्त किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-02 के द्वारा बतौर मुख्त्यार के पंजीकृत बिक्री अनुबंध पत्र दिनांक- 10-08-2023 को निष्पादित किया गया है, जो कि पूर्णत विधिक है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद केसाथ दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रथम दृष्टया वाद वादी के हित में है। सुविधा का संतुलन वादी के हित में नहीं है। वादभूमि को संस्था के हित में विक्रय करने अथवा विक्रय बाबत अनुबंध करने से वादी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी। प्रतिवादी क्रमांक-01 की ओर से उसके मुख्त्यार मनोज सिंह का इस जवाब के समर्थन में अपना स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत करता है। निवेदन किया गया है कि आवेदन निरस्त किया जाये।

(08.) प्रतिवादी क्रमांक 5, 6, 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि पंजीकृत लीज डीड 25-06-2004 अवैध है। वादी यादवेन्द्र सिंह एस०आर०एम फाउंडेशन का सदस्य नहीं है। एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा रंजीत कुमार मिस्त्री को अधिकार प्रदान किया गया था। इस संबध में रंजीत कुमार ने प्रतिवादी क्रं- 2 को मुख्त्यार नियुक्त किया। प्रतिवादी क्रं- 2 को उक्त मुख्त्यार होने के आधार पर प्रतिवादी क्रं 5, 6, 7 को विक्रय पत्र करने हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित किया है। प्रतिवादी क्रं० 1 वादी संस्था का जनरल सेकेट्री है। निवेदन किया गया है कि आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

(09.) अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रमुखतः तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैः-

(1)- क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ?

(2)- क्या सुविधा के संतुलन का सिद्धांत वादी के पक्ष में है ?

(3)- क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्णीयक्षति होगी?

<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक-1</u>

(10.) सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्ट्या वाद वादी के पक्ष में है अर्थात् क्या वादी द्वारा सदभाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुणदोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। उभयपक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में शपथ पत्र एवं उभयपक्ष ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत

शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पत्र का निराकरण करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(11.) वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-08-1997 एवं तीन पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 26-08-1997 से दर्शित है कि एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा संतशेर गिल ने संजय कुमार सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह, विष्णु प्रताप सिह, जगदीश कुमार सिंह एवं राकेश कुमार सिंह से ग्राम सकालो में खसरा क्रं० 170/3 में से रकबा 0.70 आरे, खसरा क्रं० 170/4 में से 0.70 आरे, खसरा क्रं० 170/5 , खसरा क्रं० 170/1 में से 0.70 आरे एवं खसरा क्रं० 170/2 में से 0.70 आरे क्रय किया। किस्तबंदी खतौनी एवं खसरा पांच साला वर्ष 2019-20 ग्राम सकालों मे खसरा क्रं० 170/5, 170/6, 170/7, 170/8 एवं 170/9 में भूस्वामी के नाम पर एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा संतशेर गिल का नाम अंकित है। उक्त दस्तावेज से दर्शित है कि वर्तमान में एस०आर०एम० फाउंडेशन की ओर से संतशेर गिल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

(12.) सर्टिफिकेट आफ लेंड दिनांकित 17-06-2020 से दर्शित है कि उक्त भूमि को एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा महाऋषि शिक्षा संस्थान को लीज पर दिया गया। एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा मई 2021 में जारी सदस्यों की सूची में वादी यादवेन्द्र सिंह यादव का नाम दर्ज है। बिक्री नामा अनुबंध पत्र दिनांकित 10-08-2023 से दर्शित है कि प्रतिवादी क्रं० 2 बाली शर्मा ने एस०आर०एम० फाउंडेशन की ओर उनके मुख्त्यार प्रतिवादी क्रं० 03 रंजीत प्रताप मिस्त्री के माध्यम से प्रतिवादी क्रं० 05 साकेत त्रिपाठी,

प्रतिवादी क्रं० 06 नितिन गर्ग एवं प्रतिवादी क्रं० 07 तरूण ताम्रकर के पक्ष में वाद भूमि खसरा क्रं० 170/6, 170/7, 170/8 एवं 170/9 हेतु विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया। प्रतिवादी क्रं० 2 तथा 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा जारी सदस्यों की सूची वर्ष 2010 से 2020 में दर्शित है कि प्रतिवादी क्रं० 1 जी० राम चंद्रमोहन जनरल सेकेट्री एवं प्रतिवादी क्रं० 03 रंजीत प्रताप मिस्त्री वर्ष 2014 से 2020 में सदस्य के पद पर थे परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत एस०आर०एम० फाउंडेशन द्वारा जारी सदस्यों की सूची उक्त सूचियों के पश्चात 2021 की है जिसमें प्रतिवादी क्रं० 1 एवं प्रतिवादी क्रं० 4 का नाम दर्शित नहीं है। वर्ष 2020 के पश्चात से प्रतिवादी क्रं० 4 रंजीत प्रताप मिस्त्री एस०आर०एम० फाउंडेशन का सदस्य होना दर्शित नहीं है। ऐसे में प्रतिवादी क्रं० 4 के मुख्त्यार प्रतिवादी क्रं 2 बाली शर्मा को दिनांक 10-08-2023 को वादभूमि विक्रय करने का अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता। राजस्व अभिलेखों से एस०आर०एम० फाउंडेशन का नाम वाद भूमि पर दर्ज होना दर्शित है एवं वादी यादवेन्द्र सिंह उक्त संस्था का सदस्य होना भी दर्शित है। संस्था द्वारा महर्षि शिक्षा संस्थान के पक्ष में निष्पादित लीज की वैधानिकता साक्ष्य के विषय वस्तु है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02</u>

(12.) वादी संस्था के नाम पर वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज है । यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अनुबंध पत्र के पालन में विक्रय

कर निष्पादित देते है तो वादो की बाहुल्यता बढ़ेगी। एेसे में वादी को ही नुकसान होना दर्शित है। प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्टया वाद भूमि पर हक दर्शित न होने से उक्त भूमि विक्रय न करने पर प्रतिवादी को कोई नुकसान होना दर्शित नहीं हैं अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03</u>

(13.) अपूर्णय क्षति एेसी क्षति है जिसकी पूर्ति पैसों से नहीं की जा सकती। वादी द्वारा वाद भूमि के विक्रय को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। यदि वाद के लंबन काल में प्रस्तुत अनुबंध पत्र के परिपालन में विक्रय पत्र निष्पादित हो जाता है तो वादी का वाद औचित्यहीन हो जायेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः विचारणीय बिंदु क्रं० 3 भी वादी के प़क्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

(14.) उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रमाणित हैं। अतः आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 दिनांकित 15-01-2024 "स्वीकार" कर आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण आदेश दिनांक के एक वर्ष तक या वाद के लंबन काल तक, जो भी अवधि पहले पूर्ण हो, वाद भूमि का विक्रय या अन्य किसी भी रूप से अंतरण नहीं करेंगे।

(15.) वाद के अंतिम निराकरण पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(16.) आवेदन पत्र का व्यय उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(कु. आकांक्षा सक्सेना)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(कु. आकांक्षा सक्सेना)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

दिनांकः-03.06.2024
स्थान-अम्बिकापुर